Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 23-28

न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन : सुशासन की दिशा में एक अध्ययन

मोहनी

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

डॉ. रामचंद्र

सहायक आचार्य, दूर शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्ट्राइड)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (दिल्ली)

शोध सारांश

सुशासन किसी भी राष्ट्र की प्रगति का द्योतक है। सरकारी कार्यों को गति देने एवं पारदर्शिता लाने के लिए सुशासन पहली शर्त है। सरकारी कामकाज एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में सुशासन एक महत्वपूर्ण कदम है इससे सम्पूर्ण शासन प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सकता है। न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन, सुशासन की आधारशिला मानी जाती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अनुकूल एवं जवाबदेह प्रशासन को स्थापित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार अनेकों कार्य कर रही हैं जिनमें से प्रमुख है, ई-शासन को बढ़ावा, कानूनी प्रक्रिया व पुलिस प्रशासन में सुधार, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, शिकायत निवारण तंत्र, लोकपाल संस्थान की स्थापना इत्यादि। न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन से तात्पर्य प्रशासनिक व्यवस्था से है जो कम नौकरशाही लेकिन बहुत अधिक कुशल हो। न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्मिक प्रशासन में सुधार, स्थानीय स्वशासन तक विकेंद्रीकरण, जवाबदेह प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, कानून के शासन की पालना एवं जन भागीदारी को बढ़ावा देना अत्यावश्यक हैं। सरकारी नीतियों व निर्णयों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं खुलापन पहला कदम है। शासकीय कार्यों के कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता व पारदर्शिता होना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन : सुशासन की दिशा में एक अध्ययन किया गया है साथ ही न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन भी किया गया हैं।

संकेताक्षर—*न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, सूचना प्रौद्योगिकी*

प्रस्तावना

न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन का मूल सिद्धांत पारदर्शी, सहभागी एवं नागरिक केंद्रित शासन है। कौटिल्य ने शासन के जो निर्देश बताए हैं, वे हैं—न्यूनतम सरकार, कानून का शासन, निश्चित वेतन, भ्रष्टाचार की समाप्ति व प्रशासनिक एकरूपता है।[1] न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन से तात्पर्य आम आदमी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने एवं लोगों को स्वयं के साथ-साथ देश की समृद्धि एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है। न्यूनतम सरकार से तात्पर्य यह भी है कि सरकार की भूमिका नागरिकों की संपत्ति व जीवन की सुरक्षा तक सीमित रहें। न्यूनतम सरकार प्राप्त करने के कई पहलू हैं- लालफीताशाही व भ्रष्टाचार को कम करके ई-शासन को प्रोत्साहित करके सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सकता है। सुशासन के माध्यम से ही प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्य को ओर रफ्तार दी जा सके, इस हेतु भारत सरकार ने ही ई-शासन की शुरुआत की ताकि कार्य को जल्द, न्यूनतम लागत, अधिकतम दक्षता, पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठता के साथ निपटाया जा सके और जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ई-शासन के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं

प्रशासनिक आयाम शामिल होते हैं।[2] संपत्ति, रोजगार के स्तर, संस्थानों पर नियंत्रण, नियमों व अन्य प्रक्रियाओं के सरकारी स्वामित्व का अनुकूलन न्यूनतम सरकार से ही है। शासन वह है जो सरकार करती है, शासन राजनीति का एक शारीरिक अभ्यास है जबकि सरकार शरीर है जिसके माध्यम से शासन किया जाता है। शासन वह तरीका है जिसमें विकास के लिए किसी देश के संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शासन में आम तौर पर अच्छे विचारों वाले लोग शामिल होते हैं जो अपने नवाचारों, दूरदर्शी सामूहिक दृष्टि प्राथमिकताओं को लाते हैं तथा मानव संसाधनों की सभी शक्तियों व कमियों को नीति-निर्माण की राह पर लाते हैं। जनता केवल सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों की लाभार्थी नहीं होती है बल्कि वास्तविक प्रेरक शक्ति भी होती हैं इसलिए हमें सरकार से शासन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, देश आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसमें नौकरशाहों की भूमिका न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की है। शासन के अन्तर्गत वे सब कार्य आते हैं जो किसी राज्य की सरकार द्वारा पूर्ण किये जाते है। सुशासन के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें नागरिकों में जागरूकता का अभाव, पारदर्शिता व प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अभाव, भ्रष्टाचार का बोलबाला, कमजोर नागरिक समाज, शासन एवं शासितों के बीच की दूरी, शासन में अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति संवेदना व तालमेल का अभाव पाया जाता है।[3]

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन** की दिशा में किए गए प्रयासों का अध्ययन किया गया हैं। आँकड़ों के संकलन हेतु द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों को संग्रहित करने के लिए पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों व पत्रिकाओं को आधार बनाया गया है।

शोध समस्या

बेहतर एवं कुशल शासन की दिशा में सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सबसे आदर्श व्यवस्था होती है जिसे समग्रता में हासिल करना बेहद मुश्किल है। भारत सरकार की कार्य प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी बौद्धिक वार्ताओं की संस्कृति रही है, जो सरकारी प्रक्रिया को कमजोर करती रही है, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियां कभी नहीं बनाई जाती हैं। समाज के एक छोटे से हिस्से की सेवा करने वाली सरकार की दृष्टि को प्रदर्शित करने के लिए एक परस्पर विरोधी मुद्दे को निपटाने के लिए लोक नीतियां बनाई जाती हैं। भारतीय शासन प्रणाली में हर एक निर्णय निजी व सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है जहां निजी हित को सबसे ज्यादा लाभ मिलता हैं। नागरिक समाज स्वैच्छिक गतिविधियों द्वारा समर्थित होते है, उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता हैं। कई कोशिशों के बावजूद हमेशा घाटे में चलने वाली सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया पर अभी भी सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का भी यही हाल है। कुछ सरकारी बैंकों का विलय तो हुआ है लेकिन उन पर अभी भी केंद्र सरकार का नियंत्रण बना हुआ है। सरकार भले ही बिज़नेस में रुकावट डालने वाले कई पुराने क़ानूनों को ख़त्म करने में सफल रही हो लेकिन ज़मीन खरीदने व श्रम सुधार के मामले में अभी तक प्रगति नहीं हुई हैं।

शोध का उद्देश्य

1. न्यूनतम शासन-अधिकतम सरकार की अवधारणा को समझना।
2. न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य सरकारी ढाँचे में सुधार करना और इसे अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है।
3. भारत में न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन को लागू करने में कौन-सी समस्याएँ आ रही हैं?
4. भारत सरकार के कौन-से प्रयास न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन के लिए काम कर रहे हैं?
5. न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की अवधारणा को लागू करने में मोदी सरकार कितनी सफल रही है?

न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की दिशा में प्रयास

भारत सरकार द्वारा शासन प्रणाली को आसान बनाया जा रहा है, सरकार गैरज़रूरी क़ानूनों को ख़त्म कर रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है और ईमानदारी से उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अनेकों कदम उठा रही हैं। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल सुशासन है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट 1992 के अनुसार, सुशासन शब्द दो शब्दों सु एवं शासन से मिलकर बना है जिसका अभिप्राय सही व गलत, न्याय व अन्याय, उचित व अनुचित और नैतिक व अनैतिक में अंतर करने की योग्यता से है। एक निर्णय को तभी अच्छा माना जाएगा यदि वह न्यायपूर्ण, उचित तर्कपूर्ण व सही निर्णय हो। सुशासन के संदर्भ में यदि यह निर्णय जनता की इच्छा एवं जनमत के अनुसार लिया जाए तो यह लोगों के हित में है।[4] विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा स्तर है जो सभी को एक मंच पर ला रहा है और एक अच्छी डिलीवरी प्रणाली को भी तैयार कर रहा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग ने शासन प्रणाली में कठोरता व वितरण प्रणाली में रिसाव की समस्याओं को दूर कर दिया है। सरकार द्वारा उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले केवल फाइलों में रह गई थीं उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं—

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम—भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम भू-अभिलेखों को डिजीटलाइज करने व आधुनिकीकरण करने के साथ ही देश में एक पारदर्शी व एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित कर रहा हैं। प्रत्येक भूमि पार्सल के आधार पर चौदह अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक आईडी जियो संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन मानक और ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम मानकों का अनुपालन करता हैं। सभी राज्य इसे आसानी से अपना सकेंगे और एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने की दिशा में भूमि बैंक को विकसित करने में मदद हो सकेंगी। इसका लाभ सभी लेन-देन में विशिष्टता सुनिश्चित करने व भूमि अभिलेख को हमेशा अद्यतित रखने के लिए है। इससे सभी संपत्ति लेनदेन का लिंक स्थापित हो जाता है, सिंगल विंडो के माध्यम से भूमि अभिलेख की नागरिक सेवाओं का वितरण, विभागों में भूमि अभिलेख डेटा को साझा करना, वित्तीय संस्थानों और सभी हितधारकों, डेटा और अनुप्रयोग स्तर पर मानकीकरण विभागों में प्रभावी एकीकरण और अंतर लाएगा।

वन नेशन वन सॉफ्टवेयर कार्यक्रम—नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए दस्तावेजों व संपत्तियों के पंजीकरण के लिए वन नेशन वन सॉफ्टवेयर कार्यक्रम को भूमि विवादों में कमी लाने व धोखाधड़ी वाले लेन-देन की जांच करने के लिए शुरू किया गया था।

योजना आयोग की समाप्ति—नेहरूवादी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जो सत्ता के केंद्रीकरण के साथ यथास्थिति का प्रतीक बन चुका था। इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक थिंक टैंक को लाया गया।

वस्तु एवं सेवा कर—एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज़ादी के बाद वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) अप्रत्यक्ष करों में लागू किया गया सबसे बड़ा सुधार है। जीएसटी लागू होने के साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्द्धित कर वैट, क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता और चुंगी कर इत्यादि अनेकों केंद्रीय और राज्य कर समाप्त हो गए हैं।[5]

स्वच्छ भारत अभियान—सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाने का रहा हैं।

जन धन, आधार, मोबाइल—शासन में सुधार एवं समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जन धन, आधार, मोबाइल पर जोर दिया। कर प्रशासन सरल कर मोबाइल-भुगतान एवं एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल का उपयोग किया जा रहा हैं। सरकारी कार्यालयों में कतारों की लंबाई को कम कर रहे हैं और साथ ही अनुपालन की बाधा को भी दूर किया जा रहा हैं। सतत विकास के लिए जोखिम मुक्त अस्पताल सुविधाएं व बैंकिंग प्रणाली बहुत आवश्यक हैं। देश के करोड़ों नागरिकों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बनी हैं, सरकारी सेवाएं उन तक बेहतर ढंग से पहुंचने लगी हैं। बाबूगीरी व बिचौलियों की भूमिका ख़त्म हुई है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। कई दस्तावेजों के स्वयं-प्रमाणित करने की इज़ाजत देने से लालफीताशाही में कमी आई हैं।

माईगॉव प्लेटफॉर्म—सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के साथ-साथ नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माईगॉव प्लेटफॉर्म जिसे अगस्त, 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना था ताकि सुशासन को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य निर्वाचित होने के बाद मतदाताओं और कार्यपालिका के बीच विकसित लंबे अंतर को कम करना था।[6] यह लोगों को सरकार से जोड़ने और सुशासन की दिशा में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने वाला एक नागरिक-केंद्रित मंच हैं।

लोकपाल संस्था की स्थापना—1 जनवरी, 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई[7], 16 जनवरी, 2014 को यह अधिनियम लागू हो गया था।[8] इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् भी पांच साल तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पायी थी। संसद द्वारा इस अधिनियम के पारित होने के बाद पांच वर्ष पश्चात 23 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के पद पर पहले अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष को शपथ दिलाई गई।[9]

मेक इन इंडिया पहल—भारतीय अर्थव्यवस्था देश में सुधार व निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से आगे बढ़ रही हैं। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सकता हैं। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित रहा है लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है।

स्मार्ट सिटी मिशन—समार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट' समाधान लागू करते हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम—यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया हैं। इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों एवं उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू हैं।

नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश—केंद्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी को दूर करने में पार्श्व स्तर पर प्रवेश मददगार साबित हो रहा है। यह सरकारी क्षेत्र में आर्थिक, दक्षतापूर्ण व प्रभावी मूल्यों को स्थापित करने में मदद कर रही है इससे सरकारी क्षेत्र में प्रदर्शनात्मक संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान समय में शासन में सहभागिता का विस्तार होने के साथ-साथ प्रशासनिक भूमिका का भी विस्तार हो रहा हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना—19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी 'राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड' योजना को लागू किया गया था इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाने में राज्यों का सहयोग करना हैं।[10]

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, को हर खेत को पानी सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने व पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल पर केंद्रित तरीके से शुरू से अंत तक समाधान के साथ तैयार किया गया है।[11]

एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन—एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जून, 2014 में बीस हजार करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' के रूप में अनुमोदित किया गया था।[12]

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना—बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अन्तर्गत बालिकाओं को संरक्षण व सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को की गई, जिसे निम्न लिंगनुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था।[13]

सुशासन वर्तमान सरकार का मूल मंत्र है। सरकार ने इस दिशा में उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त ओर भी कई कदम उठाए हैं

जो न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जैसे—अधिकरणों में सुधार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक, आगामी वर्षों में डिजिटल जनगणना तथा राजकोषीय समेकन के लिये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव इत्यादि। किसानों व महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में समय-समय पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा पहुंच रहा हैं। बिचौलिए भी इस सिस्टम से अपने आप हट गए हैं। अब सरकार लाभार्थियों को जो भी आर्थिक सहायता देना चाहती है, वह बिना किसी परेशानी के सौ फीसदी दी जा रही है। दूर-दराज के इलाकों से आम जनता को चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए शुरू की गई ई-संजीवनी टेली-मेडिसिन की शुरुआत वरदान साबित हो रही हैं।

सुझाव

सरकार को न्यूनतम करने और शासन को अधिकतम करने की थीम का पालन करते हुए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की रक्षा, कानून व व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सरकारी व्यय हो। भारतीय समाज केंद्रीकरण द्वारा समर्थित है, हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम है लेकिन ज्यादातर मामलों में, यह लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है हमें सरकार को कम करने और शासन को अधिकतम करने, भ्रष्टाचार और केंद्रीकरण पर काबू पाने के लिए सरकारी सुधार लाने व पारदर्शिता को बढ़ावा देना की जरूरत है, इस संबंध में कुछ सुझाव—

- सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार को खत्म करके सरकारी खजाने पर बोझ को कम किया जाए।
- सरकार को उन क्षेत्रों में अधिक काम करना चाहिए जहां बाजार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये क्षेत्र हैं- कानून व व्यवस्था को बनाए रखना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करना व पर्यावरण की रक्षा करना इत्यादि।
- सरकारी सहभागिता के संबंध में न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए जैसे- आंतरिक कामकाज में सुधार, सरकारी ढांचे के आकार को कम करना, कार्मिक प्रशासन में सुधार इत्यादि।
- भ्रष्टाचार को समाप्त करने व दक्षता में सुधार करने की आजादी देते हुए आंतरिक जवाबदेही बढ़ाएं।
- बेहतर सेवा वितरण के लिए ई-शासन का उपयोग किया जाए।
- बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए ताकि कम से कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जा सकें।
- बिज़नेस में सरकार की भूमिका को घटाया जाए।
- ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए व शासन में भागीदारी के लिए नागरिकों को शामिल किया जाए।
- सही पदों पर ज्ञानक्षेत्र व अनुभव वाले सही लोगों की नियुक्ति की जाए।
- नीति-निर्माताओं को ज्ञान और अनुसंधान उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही बौद्धिक बातचीत की संस्कृतियों में सुधार किया जाए।
- अधिक कुशल, प्रभावी, पारदर्शी एवं मानक कार्यालय प्रक्रियाओं को शामिल करके सरकारी कामकाज में सुधार के लिए ई-ऑफिस की शुरुआत की जाए।
- सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण व सरकार द्वारा उन्हें सीमित किया जाए।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा में पार्श्व स्तर पर प्रवेश का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया विकसित की गई है। सॉफ्ट स्किल्स और मिड-कैरियर प्रशिक्षण पर ध्यान देते हुए निजी क्षेत्र से पार्श्व प्रवेश को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जाए।
- सिविल सेवाओं के विभिन्न अंगों के बीच गतिशीलता का अभाव पाया जाता हैं। विशिष्ट शाखाओं में निम्न से उच्चतर के बीच लंबवत गतिशीलता महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंधित है जबकि अन्य सिविल सेवा शाखाओं से पार्श्व प्रवेश सीमित रहता है। दस साल की सेवा के बाद, उन्हें डोमेन चुनने के बजाय अधिकांश सिविल सेवकों को सामान्यवादी के रूप में रखने पर ध्यान अभी भी है।
- न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की सफलता के लिए सक्रिय, जवाबदेह एवं तुरंत फैसले लेने वाली नौकरशाही का होना पूर्वशर्त हैं।

ISSN 2348-3857

निष्कर्ष

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन भारत में वृद्धि एवं विकास समय की आवश्यकता है जहां अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम है एवं ज्यादातर कानूनों के प्रवर्तन तक सीमित है, गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है। एक लोकतंत्र और एक डिजिटल नेता के रूप में भारत साझा समृद्धि व सुरक्षा के लिए भागीदारों के साथ काम कर रहा हैं। डिजिटल शासन, सुशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लंबित मामलों को कम करने एवं स्वच्छता को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियानों के संचालन में बड़े पैमाने पर पहुंच व लाभ को सक्षम कर सकता हैं।

इक्कीसवीं सदी में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का लक्ष्य, प्रदर्शन के साथ थास-शासक और शासित के बीच की दूरियों को कम करना है, इसे प्राप्त करने के लिए मजबूत संस्थान, ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कौशल पूर्वापेक्षाएँ हैं। लालफीताशाही व भ्रष्टाचार को कम करके ई-शासन को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन को प्राप्त करने के लिए एक पारदर्शी, स्थिर एवं उदार नीति व्यवस्था को अपनाया जाता है जो जनहित में संस्थानों के आवश्यकता व प्रभावी विनियमन विकास के लिए नागरिकों के कुशल समन्वय पर केन्द्रित रहती है। साथ ही अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं, छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, एथलीटों की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन, चिकित्सा सहायता, पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा हैं। नई सरकार ने अधिक आर्थिक उदारीकरण, लोक निवेश एवं संस्थागत सुधार के माध्यम से शहरीकरण, विनिर्माण व बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया हैं।

एक पारदर्शी, जवाबदेह शासन प्रणाली की आवश्यकता है जो पक्षपात और पूर्वाग्रहों से बिल्कुल मुक्त हो। सरकार नीतिगत विमर्श, एजेंडा तय करने और लोगों की आकांक्षाओं को तय करने की अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकती। एक छोटी, स्मार्ट, कुशल सरकार जिसमें बेहतर कौशल वाले चतुर लोग होंगे एक अति-शोषक नौकरशाही से बेहतर होती है।

संदर्भ सूची

1. गांधीजी, राय एवं शीला, कुमारी, सुशासन की अवधारणा, चुनौतियां और निर्धारक तत्व, लोक प्रशासन वर्ष 9, अंक 2, जुलाई-दिसंबर, 2017, पृ.सं. 24-25
2. कटारिया, सुरेंद्र, प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2020, पृ.सं. 786-87
3. पुरी, बी.के., लोक प्रशासन, मॉडल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 15-17
4. विश्व बैंक की रिपोर्ट, प्रशासन और विकास, विश्व बैंक मुख्यालय, वाशिंग्टन, 1992
5. योजना, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस(कारोबार करने में सुगमता), वर्ष 68, अंक 01, जनवरी, 2024, पृ.सं. 33
6. यह मंच लोगों और सरकार के बीच की खाई को पाट देगा, 27 जुलाई, 2014, एचटीटीपीएसः// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. माइजीओवी.इन
7. भारत के लोकपाल, वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021), पृ.सं. 5, एचटीटीपीएसः// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.लोकपाल.जीओवी.इन/पीडीएफएस/एआर_20-21_हिन्दी डॉट पीडीएफ
8. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, बैरे एक्ट, वर्धमान लॉ हाउस, पृ.सं. 11
9. भारत के लोकपाल, वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021), पृ.सं. 14, एचटीटीपीएसः// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.लोकपाल.जीओवी.इन/पीडीएफएस/एआर_20-21_हिन्दी डॉट पीडीएफ
10. एचटीटीपीएसः// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.दृष्टिआईएएस.कॉम, दिनांक % 27 मार्च, 2024
11. एचटीटीपीएसः//पीएमकेएसवाई.जीओवी.इन, दिनांक % 2 फरवरी, 2024
12. एचटीटीपीएसः//जलशक्ति-डीओडब्ल्यू.जीओवी.इन, दिनांक % 16 जनवरी, 2024
13. वीरपाल, जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड इस्कोलरली रिसर्चज़ इन एलाइड एज्यूकेशन, पब्लिशर्स इगनाइटेड माइंड्स जर्नल्स, फैब. 2019, वॉल्यूम 16, इश्यू 2, पी.पी. 707-711(5) एचटीटीपीएसः//इगनाइटेड.इन/एल/ए/89556